

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर ।

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य-05/2024

दिनांक 24/07/2024

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक,
वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0 ।

अपने पत्र संख्या: वीजेड-सोशल मीडिया-(18)/2020/10720, दिनांक: जून 04, 2020 व पत्र संख्या: 41/6-पु-3/2020, दिनांक: 04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जो पुलिस विभाग एवं उसके अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एवं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है ।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में दिनांक 23.07.2024 की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

01. "श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान "OPERATION कनविक्शन" के अन्तर्गत मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी लगातार प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 नफर अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए दी गयी सजा '

आज दिनांक 23.07.2024 को मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना जमानिया पर पंजीकृत मु0अ0सं0 253/08 धारा 147/148/149/307/302/411 भादवि से सम्बन्धित प्रकरण में 01 नफर अभियुक्त सांवले सरोज पुत्र रामलाल निवासी नेवादा थाना फुलपुर जनपद वाराणसी के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त सांवले सरोज पुत्र रामलाल को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास व 25,000 रुपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 वर्ष अतिरिक्त कारावास, धारा 307 भादवि में 10 वर्ष का कठोर कारावास व 10,000 रुपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 वर्ष के अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया ।

02. थाना कासिमाबाद पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 175/2024 धारा 109 / 352/351(3)/333/118(1) बी0एन0एस में वांछित 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 23.07.2024 को थाना कासिमाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 175/2024 धारा 109 / 352/351(3)/333/118(1) बी0एन0एस में वांछित अभियुक्त रामराज सिंह उर्फ सोनू पुत्र रामाधार सिंह निवासी ग्राम डाही थाना कासिमाबाद जनपद गाजीपुर को समय करीब 06.15 बजे डाही पुलिस थाना कासिमाबाद से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त:-

1. अभियुक्त रामराज सिंह उर्फ सोनू पुत्र रामाधार सिंह निवासी ग्राम डाही थाना कासिमाबाद जनपद गाजीपुर उम्र 30 वर्ष

आपराधिक इतिहास

1.मु0अ0सं0- 130/2023 धारा-323/504/506/427 भा0द0वि0 थाना कासिमाबाद गाजीपुर

2.मु0अ0सं0 175/2024 धारा 109/352/351(3)/333/118(1) बी0एन0एस थाना कासिमाबाद गाजीपुर

03. थाना रेवतीपुर पुलिस द्वारा मोबाइल फोन छिनैती करने वाले 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 23.07.2024 को थाना रेवतीपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 72/2024 धारा 304(2),173(2) बीएनएस से सम्बन्धित मोबाईल छिनैती के अभियुक्त 1.श्रवण कुमार यादव पुत्र चिरौजी यादव निवासी ग्राम गढुआ मकसूदपुर थाना जमानिया जनपद गाजीपुर उम्र करीब 25 वर्ष 2.रोहित यादव पुत्र केश कुमार यादव निवासी चकिया थाना सुहवल जनपद गाजीपुर वर्ष 22 वर्ष को ग्राम डेढ़गावां ताड़ीघाट बारा मुख्य मार्ग थाना रेवतीपुर जनपद गाजीपुर से समय करीब 8.15 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तों के कब्जे से 02 अदद एन्ड्रायड मोबाईल फोन बरामद किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तों के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

बरामदगी

02 अदद एन्ड्रायड मोबाईल फोन

पुलिस अधीक्षक
गाजीपुर